निर्णय लेने के लिए समय-सीमा:

तकनीकी मामलों पर निर्णय लेने की प्रक्रिया की समय-सीमा तकनीकी मामलों की जटिलता पर निर्भर करती है। अत: इसके लिए एक समान समय-सीमा तय करना संभव नहीं है।

प्रशासनिक मामलों के लिए, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए दिशानिर्देशों/ अनुदेशों के अनुसार समय-सीमा लागू होती है। उदाहरण के तौर पर आरटीआई के तहत सूचना आरटीआई आवदेन प्राप्त होने के 30 दिनों के अंतर्गत प्रस्तुत की जाती है। इसके आलावा सीपीजीआरएएमएस शिकायतों का निपटारा शिकायत प्राप्त होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर किया जाता है।